

जेडीए के ज़ोन 11 में जेडीए के भ्रष्ट अधिकारियों
और भूमाफियाओं की साँठ-गाँठ से सरकारी भूमि और
इससे सटी हुई अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की
कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

"कमला रेजीडेंसी"

भाग-1

राजस्व गाँव जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर
के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा सरकारी और कृषि
पर बसायी जा रही है यह अवैध कॉलोनी!!!

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

श्रीमू 3 महीने पहले

f t e



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया, जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ।

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही

कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

मनमानी के सामने शायद यह

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आर्टिकल के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वास्थ्य शासन एवं आवासन मंत्री शक्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संधारित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल है। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दर्शाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सवत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर बसायी जा रही है अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी"

आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में एक नाम और शुमार हो गया है जिस स्कीम का नाम कमला रेजीडेंसी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 11 में स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी" बसायी जा रही है। राजस्व विभाग की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार खसरा संख्या 563 जेडीए के स्वामित्वधीन है जिसका क्षेत्रफल 1.17 हेक्टेयर है जबकि खसरा संख्या 568 खातेदार रामपाल पुत्र कानाराम के नाम है जो की अनुसूचित जाति वर्ग से है, इस खसरे का क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। इन दोनों खसरो का कुल क्षेत्रफल 2.39 हेक्टेयर अर्थात् 9 बीघा 14 बिस्वा है।

सोसाइटी के फर्जी पट्टे से काटी जा रही है यह अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी"

सूत्रों के अनुसार इस 9 बीघा 14 बिस्वा पर बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा 1999 से बाद सोसाइटीयों द्वारा काटे गए भूखंडों और पट्टों को बैन किया गया है। सरकार के आदेशानुसार जिन सोसाइटीयों द्वारा 31 दिसंबर 2001 तक उनके द्वारा काटी गयी स्कीमों का रिकॉर्ड जेडीए में जमा करवा दिया गया है उनके ही निकट भविष्य में जेडीए पट्टे जारी हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं के मन में आ रहे इस सवाल का जवाब देने के लिए भूमाफियाओं द्वारा प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर का उपयोग किया जा रहा है।

इतना ही नहीं जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार बासबदनपुरा(फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति का तो अस्तित्व तो है लेकिन बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जेडीए के रिकॉर्ड में बासबदनपुरा(फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कमला रेजीडेंसी नाम की किसी स्कीम का होना नहीं बताया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि कमला रेजीडेंसी नाम की यह स्कीम पूर्णतया अवैध है।

इस अवैध कॉलोनी में करीब 150 से अधिक प्लॉट काटे गए हैं, सूत्रों के अनुसार इनमें से अधिकतर को उपभोक्ताओं को बेच भी दिये गए हैं।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वास्थ्य शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता दी गई है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संधारित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल हैं। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैंकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दशाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में चर्चामान में बैंक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे पैघ पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कर्रुजा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कच्चे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/01/2022 06:31:18 PM

जिला : जयपुर

तहसील : साँगानेर

भू. अ. नि. क्षेत्र : भांकरोटा

पटवारी हल्का : जयसिंहपुरा

ग्राम : जयसिंहपुरा वास भांकरोटा



Scale 1:2000

खसरा संख्या :563 क्षेत्रफल : 1.1700 Hectare खाता संख्या : 291 पुराना खाता संख्या : 201
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ [1.1700]
1.) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह खसरा जेडीए के स्वामित्वाधीन है

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/01/2022 06:32:35 PM


जिला : जयपुर

तहसील : साँगानेर

भू. अ. नि. क्षेत्र : भांकरोटा

पटवारी हल्का : जयसिंहपुरा

ग्राम : जयसिंहपुरा वास भांकरोटा



Scale 1:2000

खसरा संख्या :568 क्षेत्रफल : 1.2200 Hectare खाता संख्या : 221 पुराना खाता संख्या :200
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चाही 1 [0.9800, 35.28], जाव 1 [0.2400, 4.32]
1.) रामपाल पुत्र कानाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- रेगर सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह खसरा निजी खातेदार रामपाल पुत्र
कानाराम के नाम दर्ज है

Developer Name	Scheme Name	Sector	Dev Type	Zone Name	Scheme Status	Allottees	Membership	Layout	Transfer
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	PAWAN PURI		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED		List	Plan	
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SKIPPERS VALLEY-PRN		Cooperative	PRN-South-2	APPROVED	List	List	Plan	
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDAR NAGAR		Cooperative	ZONE-08	UN-APPROVED	List	List		Letters
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDAR NAGAR - PRN		Cooperative	PRN-South-1	APPROVED	List	List	Plan	
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDAR NAGAR VISTAR		Cooperative	ZONE-08	UN-APPROVED		List		
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDAR NAGAR VISTAR (PRN)		Cooperative	PRN-South-1	APPROVED	List	List	Plan	
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDER NAGAR		Cooperative	ZONE-07	UN-APPROVED		List		
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SUNDER VIHAR		Cooperative	ZONE-07	APPROVED	List	List	Plan	Letters
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	SURJEET NAGAR		Cooperative	ZONE-07	UN-APPROVED	List	List		Letters
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	TARKESHWAR SAROVAR -PRN		Cooperative	PRN-South-2	APPROVED	List	List	Plan	
BAS BADANPURA (FAKIRO KI DUNGRI) GNSS	VIKASH VIHAR		Cooperative	PRN-North-2	UN-APPROVED		List	Plan	

जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार बासबदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गयी स्कीमों की सूची मे भी कमला रेजीडेंसी का नाम कहीं नहीं है।

बदनपुरा (फकीरों की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर
 (राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1966 के अधीन पंजीकृत)
 129048 18/10/21 दिनांक 18/10/21
 प्रोविजनाल अलाटमेंट डेट

यह प्रमाणित किया जाता है कि जयपुर नगर में समिति की गृह निर्माण प्रस्तावित योजना Kamla Residency-A के अर्पणित भूखण्ड संख्या P.N.-46 जिसका माप 20' x 45'-2" और क्षेत्रफल 109.30 वर्ग गज है न जिल्ला की सीमाओं पूर्व में P.N.-47 पश्चिम में P.N.-45 उत्तर में Road दक्षिण में Other's land है, को श्री कुमार/श्रीमती Ram Prasad Jat पुत्र/पुत्री/पति श्री Basu Ram Jat को समिति द्वारा आवंटित किया गया है तथा संलग्न उक्त गृह निर्माण योजना के भोके के नक्शे (एगर्ट प्लान) को अनुस्तर उक्त भूखण्ड का कब्जा उक्त आवंटिती (अवलीटी) को (एगर्ट भाग पर वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए) वास्तविक रूप में दे दिया गया जिसे कि आवंटिती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

यह प्रस्तावित एगर्टद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी Ram Prasad Jat ने उक्त समस्त अधिकारों को, जिन्हें कि समिति उक्त भूखण्ड में रखती है, निहितकर्ता है तथा एगर्टद्वारा यह आज दिनांक 18th माह Oct. वर्ष 2021 को समिति की मुद्रा एवं मंत्री तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के अधीन जारी किया जाता है।

आवंटिती के हस्ताक्षर नाम एवं पता
 संयोजक

(Reg. No. 2830/L)
 SITE PLAN OF PLOT No. :- 46
 SCHEME:- " KAMLA RESIDENCY-A "
 AT VILLAGE - JAISINGHPURA , TEH.-SANGANER,
 ON AJMER ROAD BHANKROTA JAIPUR
 UNDER - BADANPURA FAKIRO KI DUNGRI
 GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD, JAIPUR.
 ALLOTED TO Sh./Smt.:-
 SCALE :- 1" = 50'-0"

OTHER'S LAND
 PLOT NO.47 PLOT NO.46 PLOT NO.45
 109.30 Sq. Yds.
 20'
 ROAD 30'-0" WIDE

ALLOTED PLOT SHOWN THUS

संयोजक SECRETARY / PRESIDENT

Reg. No. 2830L
 बदनपुरा (फकीरों की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
 क्रमांक A 28677 दिनांक 18/10/21
 श्री / श्रीमती / कुमारी Ram Prasad Jat
 पुत्र/पुत्री / पति
 श्री Basu Ram Jat से
 रूपये प्राप्त हुए:-
 (1) सदस्यता शुल्क 102
 (2) हिस्सा 1002
 (3) अमानत भूखण्ड 20000/-
 (4) रूपान्तरण शुल्क
 (5) अन्य
 योजना :- Kamla Residency-A
 प्लॉट नं. :- 46 योग 201101
 अक्षर रूपये Twenty thousand one hundred ten
 संयोजक

बदनपुरा (फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा इस स्कीम के आज की डेट में ग्राहको को बांटे जा रहे पट्टे, नक्शे और रसीद



मौके पर बन चुकी सड़के और
बिजली के खंभे





मौके पर करवाया जा रहा
विकास



मौके पर बन रहे मकान और
की जा रही प्लोटिंग

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
4. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
5. अब तक कमला रेजीडेंसी मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
6. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
7. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?
8. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-11 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
9. क्या जेडीए के इस ज़ोन – 11 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
10. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
11. सरकारी जमीन पर कब्जा करने के विरुद्ध जेडीए एक्ट मे क्या प्रावधान है?क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
12. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

